

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

का०आ०सं०-09

पटना, दिनांक-28.09.2024

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-19 एवं 20 के प्रयोजन हेतु अधिनियम की धारा-23(i) के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक सरकारी स्थापन में एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) की नियुक्ति का प्रावधान है। उक्त के आलोक में श्री भुवन कुमार, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के रूप में नामित/ नियुक्त किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा-23(3) का अनुपालन केन्द्र सरकार की नियमावली "दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017" के अध्याय 4 अंतर्गत संबंधित नियम-'10' के अनुरूप किया जायेगा।

शिकायत प्रतितोष अधिकारी दिव्यांगजनों से संबंधित प्रत्येक शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण करेंगे। उक्त की सूचना सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-19, 20 एवं 23 तथा केन्द्र सरकार की नियमावली "दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017" के अध्याय 4 नियम-'10'।

(अंजली शर्मा) 28.09.2024
निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.933 पटना, दिनांक-28.09.2024
प्रतिलिपि- श्री भुवन कुमार, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.09.2024
निदेशक

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.933 पटना, दिनांक-28.09.2024
प्रतिलिपि- निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.09.2024
निदेशक

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.933 पटना, दिनांक-28.09.2026

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि आदेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें ।

निदेशक 28.09.26

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.933 पटना, दिनांक-28.09.2026

प्रतिलिपि- राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक 28.09.26

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०-दिव्यांगजन अधिनियम-02/2024 स.क.933 पटना, दिनांक-28.09.2026

प्रतिलिपि- सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक 28.09.26